

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1978/श्रावण 25, 1900

No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1978/SRAVANA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

पिप्त मंत्रालय

(राज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1978

सीमा-शुल्क

सा० का० वि० 411(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोचहित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 74 के अन्तर्गत आने वाली तांबे के तार की शलाकाओं को (जो संरक्षित करने के लिए भारत से बाहर भेजे गये तांबे के रिबर्ट से उत्पादित की जाती हैं), जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन

उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देता है, जितना उस शुल्क से अधिक है जो तब उद्ग्रहणीय होगा जब साल का मूल्य निम्नलिखित के योग के बराबर हो :—

- (i) संपरिवर्तन का व्यय अर्थात् मजदूरी,
- (ii) ऐसे संपरिवर्तन में प्रयुक्त सामग्री की लागत, और
- (iii) बीमा और मॉल भाड़ा, दोनों ओर का :

परन्तु यह तब जब कि सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर का यह समाधान हो जाए कि :—

- (i) तांबे के तार की शलाकाएं भारत से बहर तांबे के रिवर्ट के निर्यात की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आयात की गई हैं, और
- (ii) यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि आयात की गई तांबे के तार की शलाकाएं, भारत से निर्यात किए गए तांबे के रिवर्ट से वस्तुतः उत्पादित की गई हैं।

[सं० 160 का० सं० 355/352/77-सीमा शुल्क -I]

एम० जयरामन, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts copper wire bars (produced out of copper reverts sent out of India for conversion) falling within Chapter 74 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the duty which would be leviable if the value of the goods were equal to the aggregate of :—

- (i) the cost of conversion, that is to say, labour charges,
- (ii) the cost of material used in such conversion, and
- (iii) the insurance and freight charges both ways :

Provided that the Assistant Collector of Customs is satisfied that—

- (i) the copper wire bars are imported within three years of the date of the export of copper reverts out of India, and
- (ii) sufficient evidence exists to show that the copper wire bars imported have in fact been produced out of the copper reverts exported from India.

[No. 160 F. No. 355/352/77-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.